कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चूरू

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद हेतु भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/शाoशिoग्रेड.III/सी.प./वो-I/2017-18 दिनांक 29.11.19 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.12.19 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर राज्य से बाहर से प्रशैक्षिक योग्यता की जाँच उपरान्त पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम -2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रू. प्रतिमाह/ नियमित वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। वित्त विभाग के आदेश कमांक - एफ-12(6) एफ.डी. (रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट अद्यतन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में काउंसलिंग से पूर्व 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से मिलान कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें यथा प्रात्रता, आयु, आरक्षित श्रेणी। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं, तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त <u>नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र</u> पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार

पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजावाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

8. धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(19) कार्मिक /क-2/ 2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनां 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी दिशा निर्देशों के यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए है, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।

9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर रहा है जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है। पहचान के लिये वोटर आ.ई.डी. एवं आधार की फोटो प्रति मिलान कर प्राप्त करली जावे ।

10. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है।

11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।

12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये तथा न दिये जाने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

14. विवाहित अभ्यर्थियों के मामने में विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे यदि विवाह, विवाह अनिवार्य करने सम्बन्धित प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत् सम्बन्धी आशय 50/- रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ -पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

15. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबद्वता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करली जावे।

16. पदस्थापित आशार्थी के शैक्षिक/प्रशैक्षिक/अन्य दस्तावेजों में स्वयं के नाम या माता-पिता के उपनाम में वर्तनी (Spelling) में किसी भी प्रकार की भिन्नता हो तो उस आशार्थी से सुस्पष्ट भाषा में 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जावे तथा संतुष्टि उपरांत उसे दुरस्त/संशोधित करवाये जाने की सुनिश्चितता की जावे।

17. मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रमाण-पत्र/डिग्री वैध व मान्य नहीं पाये जावे तो मेरा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद पर चयन/नियुक्ति निरस्त करने एवं मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार माध्यमिक शिक्षा विभाग चूरू के पास सुरक्षित रहेगा इस आशय की घोषणा का 50/- रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ-पत्र सम्बन्धित आशार्थी से सम्बन्धित संस्थाप्रधान प्राप्त करेगा।

जि.शि.अ (मुख्यालय)
मा शि चूरू

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 31.01.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण सूचना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें एवं शालादर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

संलग्नः- आदेश संख्या -1

(सम्पत राम)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, चूरू
दिनांक 15.01.2020

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरू/संस्था-3/फा.नियु.शा.शि./सीधी भर्ती-18/2019/3074-86

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग, चूरू।
8. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....।
11. सम्बन्धित पीईईओ ....।
12. सम्बन्धित संस्थाप्रधान ....।
13. सम्बन्धित आशार्थी ....।
14. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, चूरू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) चूरु

क्रमांक : जिशिअ/मा/चूरु/संस्था–3/फा.नियु.शा.शि./सीधी भर्ती–18/2019 दिनांक 15.01.2020

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती 2013 में आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापन हेतु काउंसलिंग में विकल्प के आधार पर पदस्थापन सूची

आदेश संख्या – 01

क्र.स.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	वर्ग	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	छाया चित्र
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10
1	347	SURINDER KAUR	JAI SINGH	GEN	WARD NO 10 VPO MOONAK - MOONAK PINCODE 148033 DIST.Sangrur	14-03-92	GEN	GOVERNMENT GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHAWA, TARANAGAR (08040100904)(TARANAGAR)	
2	573	MANJEET SINGH	RAMPHAL	GEN	H.NO 191 NEAR DADA KHERA - SOTHA PINCODE 125039 DIST.HISAR	15-11-90	GEN	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MITHARI PATTA DADREWA (471958)(08040205401)	
3	701	AJEET GODARA	PRITHAVI RAJ GODARA	OBC	VPO- GANGUWALA JATTAN RAISINGHNAGAR - GANGUWALA JATTAN PINCODE 335051 DIST.Sri Ganganagar	01-07-86	GEN	GUPS MANPURA(08040705302)	

(सम्पत राम)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, चूरु